

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/311/वि.कार्य/2018-19/ 1477-78

दिनांक - 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।


विषय:- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 07 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 07, जो कि दिनांक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्या: डी.ई.-25 (13)/311/वि.कार्य/2018-19/ 1477-78

दिनांक - 21.08.19

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 (150 प्रतियाँ)।



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अताराकित प्रश्न संख्या :- 07

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री गिरीश सोनी

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या शिक्षा के साथ स्कूल के बच्चों को खेल-कूद के लिए कोई निधि निर्धारित की गयी है;	जी हाँ ।
ख)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये;	दिल्ली सरकार के 1023 स्कूलों को खेल-कूद के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1,24,81,000/- दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन को रुपये 5,00,000/- जोनल और इंटरजोनल खेल-कूद में भाग लेने हेतु तथा विद्यार्थियों के जल-पान एवं यातायात के लिए दिया जाता है ।
ग)	इस निधि को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है;	उपरोक्त ।
घ)	क्या अभी तक इस प्रकार की कोई निधि किसी स्कूल को दी गयी है, और	जी हाँ, उपरोक्त सभी स्कूलों व जोन को दी जा चुकी है ।
ङ)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?	<ol style="list-style-type: none">1. 128स्कूलों को 6000/- रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 7,68,000/- रुपये दिया गया है ।2. 283 स्कूलों को 10000/- रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 28,30,000/- रुपये दिया गया है ।3. 271स्कूलों को 12000/- रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 32,52,000/-रुपये दिया गया है ।4. 169 स्कूलों को 15000/- रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 25,35,000/- रुपये दिया गया है ।5. 172 स्कूलों को 18000/- रुपये प्रत्येक स्कूल के हिसाब से 30,96,000/- रुपये दिया गया है । उपरोक्त राशि प्रत्येक स्कूल को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से दी गयी है ।

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi